चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). दिनांक 19.01.2025 को एक व्यक्ति बेहोश हालात में नाम पता अज्ञात अहमदगंज रेलवे फाटक से 500 मीटर कर्वी की तरफ पिलर संख्या 1384 रेलवे लाइन के किनारे पड़ा हुआ था जिसको पेट्रोलिंग कर रहे राजेश मिश्रा(रेलवे कर्मचारी) के द्वारा देखा गया। सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। आरपीएफ उ0नि0 कृष्ण कुमार के द्वारा जिला अस्पताल सोनपुर दाखिल कराया गया। दौराने उपचार घायल की मृत्यु हो गई।
उम्र- करीब 60 वर्ष लग रही है।
उचाई- करीब 05 फीट 05 इंच
पहनावा:- लोवर काला रंग का सफेद पट्टीदार,स्वेटर हॉफ कत्थई रंग, हरा-सफेद पट्टीदार टी-शर्ट, जैकेट रंग काला
रंग:- गेहूआ
चेहरा:- सामान्य,छोटे बाल रंग सफेद
शव की शिनाख्त/पहचान होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क करेः-
1.क्षेत्राधिकारी नगर मो0नं0 - 9454401356/9305101116
2.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी मो0नं0 - 9454403205/9305101117
3.चौकी प्रभारी सीतापुर मो0नं0 - 9454403213/9305101081

(4). आज दिनाँक 20.01.2025 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में तहसील सभागार मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रकरणों/शिकायतों को अधिकारीगण सम्बंधित कर्मचारियों के साथ मौके पर जा कर शिकायतकर्ता का पक्ष सुनते हुए उसका निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के प्रति अधिकारीगण पूरी संवेदनशीलता के साथ आवश्यकतानुसार मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करना सुनिश्चित करें इसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं होनी चाहिए । जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजन में भूमि विवाद/अतिक्रमण की शिकायतों पर राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल तथा पुलिस कर्मियों को मौके पर भेजकर स्थलीय निरीक्षण करते हुए सरकार के मनसा अनुसार व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराए।
संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रकरणों की गंभीरता से जांच की जाय साथ ही जबाबदेह लोगों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर कुछ प्रकरण ऐसे होते है जिसकी शिकायत लेकर कई बार शिकायतकर्ता यह कहते है कि उनकी शिकायत का निस्तारण नही हो रहा है अथवा उनको सुना नही गया है अथवा गुणवत्तापरक निस्तारण नही किया गया है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जन शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक दशा में निष्पक्षता, समयबद्धता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करें, प्रत्येक प्रकरण की जांच के समय शिकायतकर्ता का पक्ष अवश्य सुना जाए तथा सभी तथ्यों की भॅलिभॅाति जांच करने के उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।
कहा कि राजस्व से संबंधित अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्होंने संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी मऊ श्री सौरभ यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद, प्रभागीय बना अधिकारी श्री प्रत्युस कटिहार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

(5). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.विजयपाल पुत्र हीरालाल निवासी बक्टाबुजुर्ग थाना पहाड़ी 2.प्रेमनारायण पुत्र संतोष निवासी नांदी थाना पहाड़ी 3.अभिषेक पुत्र संतोष निवासी नांदी 4.बच्छराज पुत्र गिरधारी उर्फ चुन्नू निवासी कहेटामाफी 5.जानकीशरण पुत्र चनहा निवासी बक्टाबुजुर्ग 6.अनिल पुत्र जानकीशरण निवासी बक्टाबुजुर्ग 7.महेश पुत्र भइयालाल निवासी मझियार 8.पवन पुत्र प्रेम निवासी बक्टाबुजुर्ग 9. मोहन पुत्र रामहित 10.सुखेन्द्र पुत्र रामहित निवासीगण मझियार 11.राजा पुत्र चनहा निवासी बक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(6). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त (1).अनिल द्विवेदी पुत्र कपूर कुमार द्विवेदी (2). सुधीर बाबू वर्मा पुत्र गौलाल (3).राजा विश्वकर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद (4).राधेश्याम कोरी पुत्र अच्छेलाल (5).रामशिवदास पुत्र स्व0 रामकिशोर (6).जुम्मन मिया पुत्र साहबउद्दीन निवासीगण कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2600/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 350/- रुपये बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1.मालफड़ 2600/- रुपये
2.जामा तलाशी से 350/- रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति
2.आरक्षी शिवपूजन
3.आरक्षी विपिन कुमार
4.आरक्षी इंदल
5.आरक्षी अजीत
6.आरक्षी विनित

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय द्वारा अपहरण के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा आज दिनाँक 20.01.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2020 धारा 363 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अरविन्द पुत्र कामता कोल निवासी केकरामार मजरा चुरेह करोरूवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.11.2020 को एक वादी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त अरविन्द द्वारा मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 146/2020 धारा 363 भादवि0 बनाम अरविन्द पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राहुल कुमार द्वारा की गई। उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 11.11.2020 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 28.12.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।